तटस्थ उद्धरण
2022 : सीजीएचसीः 25322

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दिनांक 17.08.2022 को निर्णय हेतु सुरक्षित ।
दिनांक 10.11.2022 को निर्णय पारित ।

सी.आर.ए. संख्या 1845/2000

1. राम अवतार, पुत्र महेंद्र सतनामी, उम्र लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
2. विश्राम, पुत्र झुमुर सतनामी, उम्र लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय–कृषि
3. मोहन पुत्र जुमुक सतनामी **(उपशमित)**
4. कुंती बाई, पत्नी रामजी सतनामी, उम्र लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी
5. गीता बाई, पत्नी मोहन सतनामी, उम्र लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी

सभी निवासी ग्राम–गोठिया, थाना कवर्धा, जिला–कवर्धा, म.प्र.

--- अपीलकर्ता (जेल में)

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वाराः पुलिस थाना कवर्धा, जिला: राजनांदगांव, मध्य प्रदेश

---- उत्तरवादी

अपीलार्थीगण की ओर से	:	श्रीमती रेणु कोचर, अधिवक्ता।
उत्तरवादी/राज्य की ओर से	:	श्री हिमांशु शर्मा, पैनल अधिवक्ता ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू

सी. ए. वी. निर्णय

1. अपीलकर्ताओं ने दिनांक 19.07.2000 के आलोच्य दोषसिद्धि के निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत परिभाषित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि शिव कुमारी (अब मृत) का विवाह अपीलकर्ता–रामअवतार से हुआ था और वह ग्राम–घोठिया, पुलिस थाना–कवर्धा में अपने ससुराल में रह रही थी । दिनांक 01.04.1999 को लगभग 6 बजे शाम को शिव कुमारी जलने से घायल हो गई । उसे अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उसका बयान कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया । दिनांक 06.04.1999 को लगभग 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई । मर्ग सूचना के आधार पर जाँच अधिकारी (अ.सा.–8) द्वारा दिनांक 10.04.1999 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उनका विचारण किया गया ।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों को परीक्षित कराया, जैसे कि (अ.सा.–1) धनेश दास, (अ.सा.–2) चंद्रहास, (अ.सा.–3) डॉ. के.के. शर्मा, (अ.सा.–4) अंजोरिया बाई, (अ.सा.–5) मनीराम, (अ.सा.–6) सावलदास, (अ.सा.–7) भुनेश्वर, (अ.सा.–8) एस.एस.एस. भदौरिया एवं (अ.सा.–9) एच सी नाग और अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए 22 दस्तावेज प्रदर्श पी 1 और प्रदर्श पी 7 मौका नक्शा, प्रदर्श पी 2 डॉक्टर द्वारा पुलिस स्टेशन को प्रेषित सूचना, प्रदर्श पी 3 शिव कुमारी की एमएलसी रिपोर्ट, प्रदर्श पी 4 मेडिकल केस रिपोर्ट, प्रदर्श पी 5 पीड़िता की मेडिकल जाँच के लिए आवेदन, प्रदर्श पी 6 पीड़िता का मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने के लिए आवेदन, प्रदर्श पी 8 और प्रदर्श पी 18 जब्ती मेमो, प्रदर्श पी 9 और प्रदर्श पी 10 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी 11 मर्ग सूचना, प्रदर्श पी 12 से प्रदर्श पी 16 गिरफ्तारी ज्ञापन, प्रदर्श पी 17 एफएसएल रिपोर्ट के लिए अनुरोध, प्रदर्श पी 19 समझौता, प्रदर्श पी 20 शव परीक्षण रिपोर्ट और प्रदर्श पी 22 मृत्युपूर्व कथन प्रदर्शित किए गए । विचारण की समाप्ति के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करते हुए माना कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित कर दिया है और उन्हें अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और ऊपर वर्णित अनुसार सजा सुनाई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रेणु कोचर ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के आवश्यक तत्वों के सबूत के बिना, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में गलती की है । उन्होंने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपीलकर्ताओं/आरोपी ने मृतिका को उकसाया ; व्यक्तियों ने उक्त कार्य को करने

के लिए षडयंत्र किया, उक्त कार्य को करने के लिए साशय किसी भी कार्य या अवैध चूक से सहायता की । मामले के तथ्यों में उपर्युक्त तीनों में से कोई भी तत्व मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ताओं ने मृतिका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है या उन्होंने साशय किसी भी कार्य के माध्यम से उक्त कार्य करने में मदद की है। लेकिन साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतिका के अपने ससुराल वालों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे क्योंकि उसे अपने पति के चरित्र पर संदेह था। उन्होंने यह भी बताया कि साक्षी–1 और 2, धनेश दास और चंद्रहास, जो उसी गांव के निवासी हैं, जहाँ मृतिका रहती थी, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका का अपने पति के चरित्र पर उठाए गए संदेह के कारण उसके साथ कुछ झगड़ा था । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं लाया गया है कि मृतिका के पति अपीलकर्ता रामअवतार का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, लेकिन अपीलकर्ता–रामअवतार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। मृतिका की माता अ.सा.–4 अंजोरिया बाई के साक्ष्य का हवाला देते हुए, तर्क किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लगाए गए आरोप झूठे हैं क्योंकि मृतिका की माता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि उसकी पुत्री अपने ससुराल में ठीक से रह रही है । अपने साक्ष्य में, इस गवाह ने आगे कहा कि जब भी मृतिका अपने मायके जाती थी, वह बताती थी कि वह ससुराल में ठीक से रह रही है । इस गवाह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी पुत्री के साथ ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार कर उसे परेशान किए जाने के आरोप पश्चातवर्ती विचार के है । अन्य गवाह ने यह भी नहीं कहा कि अपीलकर्ता–रामअवतार का किसी अन्य महिला के साथ कोई अवैध संबंध है । विचारण न्यायालय का यह विचार कि रामअवतार का मृतिका की भाभी के साथ अवैध संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। आगे यह तर्क किया कि मृतिका और उसके ससुराल वालों के बीच विवाद, यदि कोई है, जैसा कि गवाहों ने कहा है, कुछ मामूली घरेलू काम के कारण और मृतिका द्वारा अपने पति पर उठाए गए संदेह के कारण है । अपीलकर्ताओं ने कभी भी मृतिका के साथ बुरा व्यवहार या उत्पीड़न नहीं किया। यह भी तर्क किया कि (अ.सा.–8) जाँच अधिकारी ने अपने साक्ष्य में कहा कि मृतिका का एक अन्य मृत्युपूर्व कथन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था, और उसे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया । (अ.सा.–8) के साक्ष्य से पता चलता है कि मृत्युपूर्व कथन जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में हो सकता था, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि मृत्युपूर्व कथन प्रदर्श पी 22 जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज करना बताया गया है, उसमें बयान दर्ज करने की तारीख और समय का उल्लेख नहीं है, जो मामले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के तथ्यों को देखते हुए महत्वपूर्ण है क्योंकि मृतिका 75% जल चुकी थी । मृतिका की शुरुआत में जाँच करने वाले डॉक्टर केके शर्मा के साक्ष्य के अनुसार मृतिका की हालत गंभीर थी । उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि मृत्युपूर्व कथन में मृतिका के ससुराल वालों के साथ विवाद का कोई कारण नहीं बताया गया है और घटना के समय उसके पति के घर में मौजूद नहीं रहने का स्पष्ट उल्लेख है । उन्होंने तर्क किया कि चूंकि मामले में धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में गलती की है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **महेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1995) सप्ली 3 एससीसी 731; संजू @ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 2002 एससी 1998** एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों **गौतम चटेर्जी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2012(4) सीजीएलजे 538** एवं **घनश्याम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** निर्णय दिनांक 06.12.2018 पर विश्वास व्यक्त किया है ।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री हिमांशु शर्मा ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप साबित कर दिए हैं । अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निर्णय के पैरा 24 से 27 और (अ.सा.–5), (अ.सा.–6) और (अ.सा.–7) के साक्ष्य को पढ़ा । उन्होंने कहा कि साक्ष्यों को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलकर्ता–रामअवतार (मृतिका का पति) का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है । विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मृतिका और रामअवतार के बीच हुए अनुबंध प्रदर्श पी 19 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस अनुबंध की सामग्री पर भी ध्यान दिया है, जिसमें अपीलकर्ताओं ने मृतिका को उचित तरीके से रखने और उसे परेशान नहीं करने पर सहमति जताई है।

6. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

7. अपीलार्थी–1 रामअवतार मृतिका का पति है; अपीलार्थी–4 कुंती बाई मृतिका की ननंद है; अपीलार्थी–5 गीता बाई मृतिका की सास है। अपीलार्थी–1 का विवाह घटना दिनांक से लगभग पांच वर्ष पूर्व मृतिका शिवकुमारी से हुआ था । उसने दिनांक 01.04.1999 को आग लगाकर

आत्महत्या कर ली थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 में आरोप है कि अपीलकर्ताओं ने मृतिका के साथ बुरा व्यवहार किया ; उसे खाना नहीं दिया ; तथा उसे ससुराल से चले जाने को कहा ; जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली । दस्तावेज प्रदर्श डी 1, डी 2 तथा डी 3 अंजोरिया बाई, मनीराम तथा सावलदास के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में आरोप है कि अपीलकर्ताओं ने मृतिका को मजदूरी के काम पर लगाया तथा जब उसने ऐसा करने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई, उसे खाना, कपड़े, चप्पल नहीं दिए गए तथा अपीलार्थी–1 के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे । घटना की तारीख से पहले उन्हें मृतिका से संदेश मिला कि उसके ससुराल वाले उसे ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और जब मृतिका के पिता सावल दास वहाँ गए तो उन्होंने पैसे की मांग की । भुनेश्वर (मृतिका के भाई) के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान को प्रदर्श पी 4 के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें दहेज की मांग के लिए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न का आरोप है । दिनांक 31.03.1999 को वह मृतिका के ससुराल गया और देखा कि घर में कुछ विवाद/झगड़ा चल रहा था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोजन पक्ष ने धनेश दास (अ.सा.–1) को परीक्षित कराया, जिसने अपने साक्ष्य में उसने कहा कि मृतिका अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी, उसने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की । घटना के 3–4 महीने पहले उसने अपीलार्थी–1 और मृतिका को न्यायालय में देखा था और पूछने पर बताया था कि झगड़े के कारण वे लोग छोड़–छुट्टी (विवाह विच्छेद) चाहते थे । उसके द्वारा दी गई सलाह पर वे समझौता करने के लिए सहमत हो गए और विलेख लिखा गया । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि मृतिका अपने पति (अपीलार्थी–1) के चरित्र पर संदेह करती थी, जो उनके बीच विवाद का कारण है। (अ.सा.–2) चन्द्रहास ने भी ऐसा ही बयान दिया कि मृतिका अपने पति के चरित्र पर संदेह करती थी, जो उनके बीच विवाद का कारण है। मृतिका की माता (अ.सा.–4) अंजोरिया बाई ने अपने साक्ष्य में कहा कि शादी के बाद मृतिका अपने माता–पिता के घर आती थी और अपने प्रवास के दौरान उसने बताया कि वह अपने ससुराल में ठीक से रह रही है। उसने अपनी माता को अपने ससुराल में किसी भी समस्या के बारे में नहीं बताया । साक्षी ने आगे बताया कि घटना के बाद जब वह रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मृतिका से मिली तो मृतिका ने बताया कि सभी लोगों (सभी आरोपी) ने उसे आग लगाई । अपने प्रतिपरीक्षण में भी उसने बयान दिया कि उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अपीलकर्ताओं (पति, सास, ससुर और ननंद) ने उसे आग लगाई। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री अपने पति (अपीलकर्ता–1) के चरित्र पर संदेह करती थी और इसी कारण से उनके बीच झगड़ा होता था। (अ.सा.–5)

मनीराम ने अपने साक्ष्य में आरोप लगाया कि पूछने पर मृतिका ने उसे बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे और उसे परेशान करते थे और पर्याप्त दहेज नहीं लाई कहकर उसे अपने ससुराल से जाने को कहा । (अ.सा.–6) सावलदास (मृतिका के पिता) ने अपने साक्ष्य में कहा कि मृतिका के ससुराल वाले कहते थे कि वह कम दहेज लाई है । उसे ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा था और उसके साथ मारपीट की जाती थी । घटना के एक दिन पहले जब सावलदास मृतिका के ससुराल गए तो उसके ससुराल वालों ने उसकी पुत्री को उसके साथ भेजने के लिए 20,000 रुपये की मांग की । मृतिका के भाई भुनेश्वर को (अ.सा.–7) के रूप में परीक्षित कराया गया, उसने यह भी बयान देते हुए आरोप लगाया कि उसकी बहन को उसके मायके से पैसे लाने को कहा जाता था और इस कारण से उसके ससुराल वाले उससे झगड़ा करते थे । उसने आगे कहा कि बुधारी नामक एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी बहन को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है और इसके बाद वह अपनी बहन से मिलने गया । उसने यह भी कहा कि जब वह उससे मिला तो उसने अपने बहनोई रामअवतार को अपनी बहन को ठीक से रखने की सलाह दी, तब उसने कहा कि मृतिका अपने ससुराल वालों की बातें नहीं मानती थी, मृतिका के ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी । घटना से करीब 1–2 महीने पहले दोनों पक्षों के बीच एक लिखित अनुबंध हुआ था, जिसमें अपीलकर्ताओं को मृतिका के साथ ठीक से रहने की सलाह दी गई थी और मृतिका ने उसे बताया कि सभी आरोपियों ने उसे आग लगा दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मृतिका का मृत्युपूर्व कथन पुलिस द्वारा दिनांक 06.01.1999 को प्रदर्श पी 22 के रूप में दर्ज किया गया । अपने मृत्युपूर्व कथन में मृतिका ने दहेज की मांग का कोई आरोप नहीं लगाया है, जिसमें बताया है कि उसे किसी ने नहीं जलाया, उसने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की है । उसका पति अपने माता–पिता की बातों में आता था । घटना दिनांक को उसका अपने ससुर व सास से झगड़ा हुआ था । अपने मृत्युपूर्व कथन में दहेज की मांग या ससुराल वालों/आरोपी व्यक्तियों द्वारा आग लगाने का कोई आरोप नहीं है । कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया गया तथा डॉक्टर ने अपने बयान/साक्ष्य में कहा कि मृत्युपूर्व कथन दर्ज करने से पूर्व मृतिका स्वस्थ थी तथा प्रदर्श पी 4 के रूप में प्रमाण पत्र दिया ।

10. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों, विशेषकर मृतिका के मृत्युपूर्व कथन, मृतिका की माता (अ.सा.–4) अंजोरिया बाई के साक्ष्य, तथा अन्य गवाहों के कथन कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण पर्याप्त दहेज न लाने तथा दहेज की मांग करने के कारण मृतिका को प्रताड़ित करते थे तथा मृतिका को आग लगा दिए थे, के मद्देनजर, यह कथन विरोधाभासी है। मृतिका एक लड़की होने के कारण

अन्य रिश्तेदारों की अपेक्षा अपनी माता से अधिक घनिष्ठ संबंध रखती होगी; (अ.सा.–4) अंजोरिया बाई ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मृतिका जब अपने माता–पिता के घर जाती थी, तो वह अपने साथ किसी उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या हमले के बारे में बताती थी । यदि विवाहित लड़की की माता ने दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या हमले का कोई आरोप नहीं लगाया है, तो भाई और पिता या चाचा जैसे अन्य रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार, मारपीट या उत्पीड़न और दहेज की मांग के सभी आरोप लगाने का साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है।

11. अत: न्यायालय की दृष्टि में दहेज की मांग के लिए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न के संबंध में साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। गवाहों और मृतिका द्वारा अपने ससुराल से चले जाने के लिए कहने के मृत्युपूर्व कथन में कहा गया झगड़ा/ विवाद, उसके पति पर हर समय संदेह जताने, उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का व्यवहार के कारण हो सकता है, जिसे उसी गांव के निवासी स्वतंत्र गवाह (अ.सा.–1) और (अ.सा.–2) ने भी कहा है। (अ.सा.–4) मृतिका की माता ने भी अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री को अपने पति पर अवैध संबंध होने का संदेह था और यही उनके बीच विवाद का कारण था। मृतिका के पिता और भाई (अ.सा.–6) सावलदास, (अ.सा.–7) भुनेश्वर का साक्ष्य कि मृतिका ने उन्हें सभी आरोपियों द्वारा आग लगाने की बात कही थी, मृतिका के दिनांक 01.04.1999 को दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व कथन से झूठा साबित होता है, जिसमें उसने कहा था कि उसकी सास और ससुर के साथ झगड़ा हुआ था और उसका पति रामअवतार घर पर नहीं था, उसने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. (अ.सा.–1), (अ.सा.–2) और (अ.सा.–4) के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतिका और अपीलार्थी–1 (पति) के बीच झगड़ा मृतिका के मन में अपने पति के अवैध संबंध होने के संदेह के कारण हुआ था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित नहीं किया गया।

13. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी व्यक्ति ने मृतिका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है , जो इस प्रकार है:

धारा 107. किसी बात का दुष्प्रेरण – कोई व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –

प्रथम – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; या

द्वितीय – उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित जाए ; या

तृतीय – उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1––जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी ऐसे तात्विक तथ्य को, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उदाहरण – क, एक लोक अधिकारी, न्यायालय के वारंट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख, उस तथ्य को जानते हुए कि ग, य नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग, य है और एतद्द्वारा साशय क से ग को पकड़वाता है । यहां ख, ग को पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

स्पष्टीकरण 2.–– जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और एतद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने मृतिका को किसी भी तरह से उकसाया है या उस काम को करने के लिए साजिश रची है या जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक से सहायता की है। मृतिका ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में कहा कि घटना से ठीक पहले उसका अपने ससुर और सास से झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसके द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। दहेज मांगने का कोई आरोप नहीं है, सिवाय इस आरोप के कि उसे अपने ससुराल से जाने के लिए कहा गया था, जो उसके पति के

चरित्र पर संदेह करने और उस मुद्दे पर झगड़ा करने के उसके व्यवहार के कारण हो सकता है, जैसा कि (अ.सा.–4) मृतिका की माता ने स्वीकार किया है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेंद्र सिंह एवं अन्य गायत्रीबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1995 सप्ली (3) एससीसी 731** के मामले में, जिसमें पति के खिलाफ मृतिका की भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप था, जिसने आत्महत्या कर ली थी और इस प्रकार माना:

> "2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही ढंग से प्रस्तुत किया कि मृतिका के बयान के अलावा कोई अन्य स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलकर्ताओं के कृत्यों को धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लाने के लिए कोई उकसावा था, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को दंडित किया गया है। मृत्यु पूर्व कथन, अपने आप में, धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध में अपीलकर्ताओं को शामिल नहीं कर सकता , क्योंकि इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान है। जो कोई भी आत्महत्या के लिए उकसाता है, और यदि कोई व्यक्ति उस कारण से आत्महत्या करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्माने से भी दंडित होगा । धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता में उकसाने को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है जो प्रथम उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; या द्वितीय उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित जाए ; या तृतीय उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है । मृतिका के बयान पर उकसाने के कोई भी तत्व आकर्षित नहीं होते हैं। मृतिका को परेशान करने के आरोप पर केवल धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपीलकर्ताओं की सजा कायम नहीं रह सकती । अपीलकर्ता आरोप से बरी होने के हकदार हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एससीसी 707** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना है:

"17. हम पहले ही इस न्यायालय के उपरोक्त पहलू पर कई निर्णयों पर विचार कर चुके हैं और ऐसा करने के बाद हम वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर वापस आते हैं। अभियोजन पक्ष ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि 26.09.1991 को, मृतिका द्वारा आत्महत्या करने की तिथि से एक दिन पहले, मृतिका को अपीलकर्ता, अनीता और अपीलकर्ता के घर में मौजूद अन्य अभियुक्तों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मृतिका ने अगले दिन आत्महत्या कर ली । वर्तमान मामले के अभिलेख के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ने उक्त घटना पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि उनके अनुसार, उक्त तथ्य को स्थापित करने के लिए गवाहों के बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं हैं। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उन निष्कर्षों को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।"

17. **केवी प्रकाश बाबू बनाम कर्नाटक राज्य (2016) 4 क्राईम 184 (एससी)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विवाहेत्तर संबंध, अपने आप में या इस तरह से, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के दायरे में नहीं आएगा । यह एक अवैध या अनैतिक कार्य होगा, लेकिन अन्य तत्वों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि यह एक आपराधिक अपराध बन जाए । स्पष्ट करने के लिए, केवल इसलिए कि पति विवाहेत्तर संबंध में शामिल है और पत्नी के मन में संदेह है, इसे मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तत्वों को संतुष्ट करने के लिए मानसिक क्रूरता को आकर्षित करेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) 10 एससीसी 797** के मामले में माना है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य पर विचार करते समय और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि कुछ करने या आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है।

19. **रणधीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004) 13 एससीसी 129** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उकसावे में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी काम को करने में उसकी मदद करने की प्रक्रिया शामिल है। षडयंत्र के मामले में भी, इसमें उस काम को करने के लिए षडयंत्र में शामिल होने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होगी।

20. इस मामले में अभियोजन पक्ष अभिलेख पर पुख्ता और स्वीकार्य साक्ष्य पेश करके भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के तत्वों को साबित करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के

खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है । विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि अपीलकर्ता–1 के अवैध संबंध होने और उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर जाने के लिए कहने तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण अपीलकर्ताओं ने क्रूरता की, वह संधारणीय नहीं है।

21. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते है।

22. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/–
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**